न्<u>यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिलाभिण्ड</u> <u>मध्यप्रदेश</u> पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण कमांक 630/2014 संस्थापित दिनांक 14.07.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद जिला भिण्ड म०प्र०.

..... अभियोजन

बनाम

 वासदेव पुत्र मनीराम बघेल उम्र-45 साल निवासी खेरिया महानंद,गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

<u>...... अभियुक्त</u>

<u>::- निर्णय -::</u>

(आज दिनांक 09/10/2014 को घोषित किया)

- 1. आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294,324 के अपराध के आरोप है कि दिनांक 16/06/2014 के 12:30 बजे स्कूल के पास खेरिया महानंद में फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उपस्थित जनसमूह को क्षोभ कारित किया व फरियादी रसूल वासदेव की धारदार हथियार से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी व आहत का आरोपी से आपसी राजीनामा हो गया है।
- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी ने दिनांक 16/06/2014 के 13:20बजे पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि उसने अपने खेतों पर भैस चराने से मना करने पर विवाद हो गया था आज वह स्कूल के पास खडा था तभी वासदेव हाथ में हिसया लेकर आया और गाली गलोज करने लगा मना करने पर हिसया उसके मुंह पर मारा जो बायी कनपटी व सिर दायी कनपटी पर मारा चोट होकर छिलन सी हो गई और लातघूसे मारे उल्टा सीधा बोला मौके पर ब्रजेश शर्मा,रामलक्ष्मण शर्मा,आ गये जिन्होने घटना देखी।

- 4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 235/14 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफतार किया गया एवं फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294,324 के आरोपो की विरचना की गई आरोपी ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा ।
- 6. प्रकरण में फरियादी द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 294 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि शेष धारा 324 शमन योग्य न होने के कारण विचारण किया जा रहा है।
 - 7. <u>प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:—</u> 1. क्या आरोपी ने फरियादी की धारदार हथियार से चोट पहुचाकर उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

- 8. वासुदेव शर्मा आ0सा01 के द्वारा प्रकरण मे प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है कि घटना दिनांक 16/6/14 की हार की थी वासुदेव उसके खेतों में भैसे चरा रहा था जब उसने भैसे चराने से मना किया तो आपस मे मुहवाद हो गया कोई मारपीट नही हुई और न ही आरोपी ने उसे किसी धारदार हथियार से चोट पहचाई थी उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्र0पी01 की है पुलिस ने नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा हिसया से उसके मुह पर चोट पहुचाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पृष्ठे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपी ने धारदार हथियार हिसया से चोट पहुचाकर उपहित कारित की हो। साक्षी के कथनो से प्रथम सूचना रिपोर्ट व घटित अपराध का समर्थन नहीं होता है।
- 09. प्रकरण में फरियादी व आरोपी के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी वासुदेव शर्मा आ0सा01 ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है उक्त साक्षी के कथनो से किसी धादार हथियार हिसया से चोट पहुचाये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है।
- 10. प्रकरण में मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर था लेकिन अभियोजन साक्षी फरियादी वासुदेव शर्मा द्वारा

अपने परीक्षण के दौरान धारदार हथियार से चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया है फरियादी के कथनों से धारदार हथियार से चोट पहुंचाये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है। फरियादी कथनों से धारदार हथियार से चोट पहुंचाये जाने की घटना पूर्णत : अप्रमाणित पाई गई।

- 11. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य पूर्णतः अप्रमाणित हैकि आरोपी ने फरियादी को धारदार हथियार हिसया से चोट पहुचाये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।
- 12. प्रकरण में आरोपी के आरोपित आरोप भा.द.वि.की धारा 324 पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों मे आपसी राजीनाम किया जा चुका है अतः आरोपी को भा.द.वि.की धारा 324 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते है।
- 13. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।
- 14. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।
- 15. प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

 $\frac{\overline{\text{E}} + \overline{\text{R}} - \overline{\text{R}}}{\overline{\text{O}} + \overline{\text{O}} + \overline{\text{O}} + \overline{\text{O}}}$ जे $\overline{\text{O}} + \overline{\text{O}} +$

हस्ता <u>/ सही</u> जे०एम०एफ०सी०गोहद

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 630/2014